

71

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल गवालियर संभाग भौपाल

PBR/क्रियानी/रायसेन/श्रृंखला/2017/2529 (राजस्व मण्डल खण्डपीठ भौपाल ₹५०४०)

पुनरीक्षण आवेदन क्रमांक —/2017

बी सुनं कराय

कोड़िगढ़ारा २५-३१२

कोड़िगढ़ारा भौपालगढ़ पुस्तुक

टिकटा
२५-३१२

नफीस छाँ पुत्र श्री अहमद छाँ उम्र 50 वर्ष,

निवासी/कृषक ग्राम मूरेलखुर्द तहसील व जिला

रायसेन ₹५०४० - - - - - पुनरीक्षणकर्ता

विस्तृ

श्रीमति मेवाबाई पति श्री भीका भाट उम्र 70 वर्ष

निवासी/कृषक ग्राम मूरेलखुर्द तहसील व जिला रायसेन

हाल चिवास - ताजपुर महल रोड अवंतिका कालोची के पास
रायसेन जिला रायसेन - - - - - उत्तरदाता

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म०४० भू०रा० संहिता 1959

माननीय महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न जिवेदन है :-

उत्तरदाता श्रीमतिमेवा/द्वारा एक आवेदन संबंधित राजस्व

निरीक्षक वृत्त सांचेत तहसील व जिला रायसेन को अपनी स्वयं की भूमि
खसरा क्रमांक 65/2 रकबा 0.709 हेठला पटवारी हल्का नं. 54

स्थित भूमि ग्राम मूरेलखुर्द तहसील व जिला रायसेन का सीमांकन कराते
हेतु आवेदन दिया जो कि प्र०५० ३३/अ- 12 /2016-17

पंजीयन होकर दिनांक 18-5-17 को सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक
मण्डल सांचेत तहसील व जिला रायसेन द्वारा आदेश पारित किया गया

उक्त आदेश के पालन में दिनांक 28-5-17 को सीमांकन व सीमांकन

संबंधी अन्य दस्तावेज तैयार कर सीमांकन कराया गया जिससे परिवेदित

होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय में निम्न तथ्यों एवं आधारों
पर आधारित होकर पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है :-

पुनरीक्षण के तथ्य -


उत्तरदाता मेवाबाई द्वारा एक आवेदन संबंधित राजस्व

निरीक्षक मण्डल सांचेत तहसील व जिला रायसेन को अपनी स्वयं की भूमि

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/2529

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-2018	<p>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व निरीक्षक, सांचेत तहसील व जिला रायसेन द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ-12/2016-17 दर्ज कर दिनांक 18-5-17 को सीमांकन के आदेश दिये गये एवं दिनांक 28-5-17 को सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि की गई, जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना था, परन्तु उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लेखित आधारों एवं अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। निगरानी मेमों में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि राजस्व निरीक्षक के अभिलेख से स्पष्ट है कि सीमांकन हेतु दिनांक 27-5-18 नियत की गई थी, किन्तु इस सम्बन्ध में आवेदक एवं पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र की तामील नहीं कराई गई है और दिनांक 27-5-18 को सीमांकन नहीं कर, दिनांक 28-5-18 बिना सूचना दिये उनके पीछे पीछे सीमांकन किया गया है। यह आधार भी लिया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत सीमांकन किया गया है, जो कि विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।</p> <p>3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेखित आधारों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक के प्रकरण में सूचना पत्र संलग्न है, जिसमें आवेदक द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दी जाकर, स्थायी सीमा चिन्हों से विधिवत सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया है, जिस पर उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर है। अतः इस सम्बन्ध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति राजस्व निरीक्षक का आदेश स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।</p>	  अध्यक्ष